

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali): I join in condemning this dastardly attack on Shri Jyoti Basu. Thank God he has been spared. We wish him a long life. I would only like to know whether any compensation is being given to the family of the person who lost his life.

MR. CHAIRMAN: Investigation is going on. That is all. We now continue with the discussion on the Statutory Resolution and the Bill.

18.08 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) CONTINUANCE ORDINANCE; AND ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) CONTINUANCE BILL—*contd.*

*SHRI K. RAMANI (Coimbatore): Mr. Chairman, Sir, I am not opposing the Essential Commodities (Amendment) Continuance Bill, 1970 which has been brought before the House by the Government. But, at the same time, I have unassailable objections and strong criticisms to make regarding the manner in which the Act had been implemented in the past. I would like to enumerate a few of them.

To give an example, the hon. Minister stated that during the year 1968 out of 17960 cases of summary trials only 6018 cases ended in conviction. I would request the hon. Minister to clarify what happened to the remaining cases specifically in his reply to the debate. Similarly, the hon. Minister pointed out that in 1969 there were 8422 cases of summary trials and out of which 4330 were cases ending in conviction. In 1968 summary trials were instituted against about 18,000 persons and only about 6,000 were convicted. I would like the hon. Minister to inform the House whether all those who were convicted were common people, petty traders and small industrialists or they were big black-marketeers, hoarders and profiteers. In 1969 the summary trial cases were about 8,500 and only in 4,300 cases punishment was awarded. I want to know what happened to the remaining 4,200 cases. The Minister should

also clarify as to the category of persons who were punished.

I make this charge that in the name of this Act only common people are punished; justice is not being done properly. Many times criticisms have been made here that in the name of summary trial procedure justice is not being meted out to the common people. I would request the hon. Minister to look into this.

The objective of this Act should not merely be to award punishments. On the contrary this Act should be an instrument in bringing to book the black-marketeers, hoarders and profiteers and also in making available to the common people the essential commodities by ensuring proper and equitable distribution. If this is not done, the hon. Minister must understand the however good the intentions of a law may be, if it is enforced tardily, then the people would neither welcome such a piece of legislation nor would extend their support to it because no beneficial results flow from such a law.

The Government, after assuming the powers to regulate distribution of scarce essential commodities, to check the rise in prices and also to root out lock, stock and barrel the black-marketing and hoarding by unscrupulous people, had genuinely tried to implement this Act. If that is true, what happened to Vanaspati? The price of Vanaspati has shot up and it has gone underground. When there is acute scarcity of essential commodities like various kinds of oils, foodstuffs, cloth, yarn, paper, medicines, sugar, etc., it is the prime duty of the Government to regulate the production and distribution of these commodities by forcefully exercising the powers granted to them under this Act. My feeling is that the Government have failed completely in their effort to arrange proper distribution of essential commodities. I request the Government to examine this issue more carefully.

In my constituency, Coimbatore, a tin of groundnut oil was selling at Rs. 42; but now it has gone up to Rs. 64. A tin of gingily oil was being sold at Rs. 72 and now it is sold at Rs. 77. A kilo of coconut oil costs

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri K. Ramani]

Rs. 7.50. Reports have appeared in the newspapers that there is no difference between coconut-oil and ghee and as a matter of fact both are competing with each other. The hon. Minister should explain what steps have been taken by the Government to regulate the distribution of these essential commodities in exercise of the powers of this Act. I am not aware of any such steps having been taken by the Government.

I would like to strike a note of warning to the Government here. In this year's Budget, the Government are going to print currency notes to cover the deficit of Rs. 225 crores. New imposts of excise and other taxes to the tune of Rs. 170 crores have been proposed. As a result of interaction of these two propositions, there will definitely be spiralling of prices. It will also lead to large scale hoarding of essential commodities. The responsibility to prevent these things occurring rests squarely on the Government. While taking action, if the Government allow the big hoarders and profiteers to go scot-free and at the same time punish the common people, petty traders and small industrialists, then I would warn the Government that they will be misusing the authority and confidence reposed in them. There will be stiff opposition from the people if the Act is enforced in this way.

When there is scarcity of essential commodities and daily necessities of life, it is imperative that the Government should enforce rigorously the provisions of this Act in so far as proper distribution is concerned. The question that is posed today is why it has not been done so far. The hon. Minister should bear this in mind when he seeks the vote of the House for passing this Bill. He should specifically mention in his reply as to how many big black-marketeers, hoarders, profiteers and swindlers of the society were punished in the years 1968 and 1969 and how many common people were harassed. If this information is made available to the House, then the cat will be out of the bag.

Today through central laws and through Central Reserve Police force, the Government are resorting to repressive measures in the States. The people who demand and fight for eradication of black-marketing, hoarding and profiteering are oppressed with a heavy

hand. On the other hand, I would request the hon. Minister to make use of the Police Force to bring to punish the black-marketeers, profiteers and hoarders and implement this Act in a fair, just and effective way so that the common people are afforded the much-needed relief.

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : इस विधेयक के सम्बन्ध में जो स्टैंटुटरी रेजोल्यूशन है आप देखेंगे कि उसके प्रस्तावकों में मेरा भी नाम है। चूँकि लोक सभा में ऐक्ट पास नहीं हो सका इसलिए जो अध्यादेश जारी किया गया है मैं उसका तो विरोध करता हूँ क्योंकि यहाँ अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। एसेगल कमोडिटीज में आप देखेंगे कि आयरन और स्टील है। इन विधेयक में उसके प्रोडक्शन, सप्लाय और डिस्ट्रिब्यूशन पर पब्लिक इंटरैस्ट में कंट्रोल करने की बात आती है। इसी के लिए यह ऐक्ट है। इसी के लिए यह अध्यादेश जारी किया गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अध्यादेश जारी करते वक्त ही अथवा उससे थोड़ा पहले या बाद में स्टील की कीमत क्यों बढ़ाई गई? क्या वह पब्लिक इंटरैस्ट में हुआ? अध्यादेश जारी करके उसके बढ़ने को रोका क्यों नहीं गया? हकीकत में वह कीमत प्राइवेट सेक्टर में जो स्टील वाले हैं उनको ख़ुश करने के लिए बढ़ाई गई। इसलिए इस अध्यादेश का इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ और मैं इसका विरोध करता हूँ, लेकिन जहाँ तक इस विधेयक का सवाल है मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस अवसर पर मैं इस विधेयक का समर्थन ही नहीं करता बल्कि मेरा संशोधन है कि जो आप उसकी मियाद दो साल के लिए बढ़ा रहे हैं, वह तीन साल के लिए कर दें। 1964 का यह ऐक्ट था। उसको आपने 1966 में दो साल के लिए बढ़ाया, फिर तीन साल के लिए बढ़ाया और आप उसको फिर दो साल के लिए बढ़ाने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि आप इसको तीन साल के लिए बढ़ा दें।

आप सब जानते हैं कि धातुव्ययक बल्लुएँ

हिन्दुस्तान की जनता के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन इन धातुयुक्त वस्तुओं की जो कमी होती है उसकी जड़ में होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है और प्राफिटिअरिय है। इसकी बजह से लोगों को ठीक से सप्लाय नहीं हो पाती है, डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हो पाता है और कीमत धामे बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वह धाम जनता की पहुंच के बाहर हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं फूड-स्टैप की बात, प्रनाज की बात कहना चाहता हूँ। हम बाहर के कितने प्रनाज पर मुनहसर करते हैं? उसका कितना परसेंटेज है? ७ से 10 परसेंट तक। केवल इतना फूड हमारे देश में बाहर से आता है। लेकिन केवल 8 या 10 परसेंट प्रनाज ही बाहर से न धामे से मुक्त में हाहाकार होने लगता है। 8 या 10 परसेंट प्रनाज देश में और नहीं होना—ऐसी बात नहीं है लेकिन जो होर्डर हैं, ब्लैक मार्केटिअर हैं उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। इसलिए जो भी उपज देश में है उसका वितरण ठीक से नहीं हो पाता है और वह धाम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमको बाहर के प्रनाज पर मुनहसर करना पड़ता है। इसी तरह और भी बातें हैं। जो भी उपज और जो भी प्रोडक्शन देश में है, जो जल्दता के पास पहुंचना चाहिए उसको प्राफिटिअर लोग रोकते हैं। ऐसे लोगों के साथ सफ़्ती करनी चाहिए। सरकार का फर्ज हो जाता है, समाज का फर्ज हो जाता है, कि वह इस पर कंट्रोल करे।

अब बात आती है सभरी ट्रायल की। कहा आता है कि इससे जुल्म होगा। हमारे हरियणा के प्रांतीय सदस्य ने कहा कि गरीबों पर एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के मातहत जुल्म होगा, और महकमों से भी जुल्म होगा क्योंकि प्रशासन जर्ब और ब्यूरोक्राटों से भरा हुआ है। पग-पग पर जुल्म होता है। एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट को लागू करने में ही जनता पर जुल्म नहीं होता है, बल्कि और बातों में भी होता है। वह धाम प्रशासन की बीमारी है। इसके खिलाफ हम लोग धामाज

उठाते हैं और धामे भी उठाते रहेंगे। इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। यह ठीक है कि कुछ निर्दोष लोग दबाए जायेंगे, कुचले जायेंगे। लेकिन इससे एक बड़ा हथियार हुकूमत के हाथ में होगा जिसके जरिये जो धाम जनता देश की है 55 करोड़ जनता, उसकी धातुयुक्त वस्तुएं जो हैं उन पर कंट्रोल होगा, ताकि जो उनकी छोटी-मोटी धामदनी है उसमें उनकी जरूरत की चीजें उन तक पहुंच सकें। धाम जानते हैं कि देश की 75 फीसदी जनता 3 धामे रोज पर अपनी जिन्दगी बसर करती है। डा० लोहिया ने कहा था उन चीजों के दाम बांधे जायें। उन्होंने दाम बांधों का नारा दिया था, उन्होंने प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन पर कंट्रोल का नारा दिया। यदि हम ऐसा नहीं करते तो 3 धामे रोज पर भुजर करने वाला धाममी किस तरह से अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है जबकि इस तरह से चीजों के दाम बढ़ रहे हैं।

इसलिए यह जो विधेयक है उसका समर्थन करते हुए भी मैं कहना चाहता हूँ कि बावजूद इस विधेयक के, बावजूद आपकी तमाश मशीनरी के, पिछले दो सालों में ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के दाम बढ़े हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि बावजूद प्रीम रेवोल्यूशन के, बावजूद बम्बर क्राप के होलसेल प्राइसेज बढ़ी हैं पिछले साल के मुकाम्ले में। धामका ऐक्ट पहले भी था, लेकिन धाम इस पर कंट्रोल नहीं कर सके। मैं जानना चाहता हूँ कि बावजूद प्रीम रेवोल्यूशन के और बम्बर क्राप के क्यों ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की प्राइसेज बढ़ी हैं। कहने का मतलब यह है कि बावजूद धामर्ष जल्द-जल्द हो सकता है, लेकिन जिस तरह से सरकार इस धाम्यादेश को सही मानों में धाम जनता की भलाई के लिए कार्यान्वित नहीं कर पाई उसी तरह से यह विधेयक भी पास हो जाएगा, लेकिन खुद एक बात रहेगी कि क्या सर्वमोस्ट इसको कार्यान्वित कर पाएंगी, अपनी जर्जर प्रशासन की मशीनरी के द्वारा। उनके पास हुकूमत है, ब्यूरोक्रैट्स हैं, क्लर्क्स हैं, फिन्तु वह इसको

[श्री शिवचन्द्र झा]

कार्यान्वित नहीं कर पायेंगे, इस आदर्श को नहीं पहुंच पायेंगे, उल्टे जुल्म करेंगे, ऐसा हमको शक है। लेकिन बावजूद इस शक के एक हथियार हमें मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो संशोधन मैंने रखना है अर्थात् दो साल के बजाय इसको तीन साल के लिए एक्स्टेंड किया जाय, उसको सरकार मान ले। चार साल तक आपकी पंचवर्षीय योजना चल रही है। उसका एक साल हो चुका है, तीन साल और रह गए हैं। तब तक के लिए अगर हम इसको बढ़ा दें तो हमको इन चीजों पर काबू करने का मौका मिलेगा और एक अर्थ-व्यवस्था के ढांचे को लाने का मौका मिलेगा जिसमें आप बैलेंस रख सकते हैं। इसलिए इसको दो साल के बजाय तीन साल के लिए बढ़ाया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY): I am highly thankful to the hon. Members who have participated in this debate and who have made very valuable suggestions. The hon. Members were kind enough to extend their support to this Bill.

I am not a pathetic believer in controls. However the control has not inspired the confidence of the public in capitalist, morality in the matter of keeping the priceline. Therefore, as an inevitable measure, sometimes steps under Essential Commodities Act will have to be undertaken.

As far as this measure before the House is concerned, we will have to view this in a limited compass. We are not dealing with the total measures as such but we are dealing with the procedural requirements. This is a continuation of that procedure under the Criminal Procedure Code which is already in existence and we are only trying to extend

the period. This is the limited sphere in which we will have to examine the Bill before us.

Regarding Shri Randhir Singh's suggestions, I believe normally the farmers will not violate the law on essential commodities. I do not see why they should feel that they are likely to be apprehended under this law. They are mainly producers. There is no scope for them to indulge in any malpractice coming within the four corners of this law. They are honest. If there is any violation, that would be punished. If there is any harassment, I hope State Governments would take note of it and take necessary steps to avoid any harassment being caused to innocent persons.

Another question raised was about the desirability of the summary trials. In the Act itself, appeal is provided for this in case of confiscation also. In the rest of the matters, the Cr. P.C. lays down in sec. 414:

"Notwithstanding anything hereinbefore contained, there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily in which a Magistrate empowered to act under s. 260 passes a sentence of fine not exceeding two hundred rupees only."

SHRI KANWAR LAL GUPTA: When they have revoked detention without trial, in the changed circumstances, why no appeal is provided? May be Rs. 200 or rising of the court—does not matter.

SHRI RAGHUNATHA RADDY: To ensure speedy disposal of cases, certain procedure is followed by courts. For that summary trial is provided for as in the Cr. P.C. It also provides for remedies, such as appeals or revisions. The rights and liabilities are prescribed under the Code. We need not go into it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: This is a fundamental issue. He asks us to pass this Bill but says 'do not go into this issue.' Let him convince us.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: In a developing economy. . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Economy is to be developed with detention?

SHRI RANDHIR SINGH: Farmers are prosecuted and harassed in thousands.

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी नहीं होगी यह डिबेलीपिंग इकोनोमी है ? आप भारत को रूस बना दें, चीन बना दें । क्यों कांग्रेस को बदनाम आप करते हैं । आप कम्युनिस्ट तरीके से चलिए तो आपका मुकाबला दूसरे तरीके से होगा ।

SHRI RAGHUNATHA REDDY: Summary trial is not something unknown to law. It has been there for a long time under the Cr. P.C. Having regard to certain aspects of business morality, the necessity to deal with distribution effectively, the need to control blackmarketing and the consideration to see that in relation to essential commodities the community should not be exploited and placed at the mercy of persons who do not observe any kind of morality, summary proceedings are essential to reach them a lesson and administer deterrent punishment. Such proceedings are recognised in jurisprudence and this is nothing new. I hope he will appreciate this. Here we are mainly dealing with economic crimes. Economic crimes are committed by those in high places who cannot be easily apprehended, but the law does not recognise the status of a person if he commits a crime, and every person will be treated equally. Therefore, in order to protect the interests of the community and to expedite trials and award punishment, this kind of procedure has been followed. It is nothing new to law and it is already provided for in the Criminal Procedure Code. Again, it is not something that I am asking the House for the first time to accept. It is already there in the statute. We are only asking for extension.

I have dealt with the conditions under which the Ordinance had to be issued in my opening speech and I need not refer to it again. I do not agree with the proposition placed by Shri Kanwar Lal Gupta in support of his Resolution. I hope the House will reject it.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं रेड्डी साहब का बहुत आदर करता हूँ । मैं प्रशंसा भी करता हूँ कि वह प्रोसेसिव मिनिस्टर है । लेकिन

मुझे दुःख है कि जो सवाल मैंने उनसे किया उसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । मैंने कहा कि जब आप नक्सलाइट्स, रिबेल नागाख को जो हथियार लेकर खुले भ्राम आपके खिलाफ लड़ते हैं, मिलिटरी और पुलिस पर भ्रटक करते हैं, पकड़ते हैं तो क्यों नहीं आप उनके खिलाफ डिटेनशन लाँ लागू करते, उनका समरी ट्रायल क्यों नहीं करते ? आपने डिटेनशन एक्ट को रिवोक कर दिया । उनका आप रेग्युलर ट्रायल करते हैं । उनको आप राइट आफ़ अरील भी देते हैं । लेकिन ब्लैक मार्किट करने वालों को आप चाहे सख्त से सख्त सजा दें, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन कम से कम उनको अभील का राइट तो दें, आप समरी ट्रायल तो न करें । मंत्री महोदय ने मुझे दुःख है यही कहा है कि चेंज सरकारमस्टॉसिस हैं । लेकिन 1964 में यह कानून बना था । उस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा थी । भ्रनाज नहीं मिलता था । भ्राज हालत काफी मुशरी है । आपने सारे देश के लिए एक व्हीट जोन बना दिया है । धीरे-धीरे आप वस्तुओं की मूवमेंट फ्री करते जा रहे हैं । इस वास्ते इसकी जरूरत भ्राज आपको क्यों है ? इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । इसी तरह से उन्होंने यह भी नहीं बताया है कि इतका इम्प्लेमेंटेशन कैसा हो रहा है, इसका ईकैन्ट क्या पड़ा है, इसका इम्प्लोकेशन क्या हुआ है ? कर्प्शन बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इस सबके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा ।

कोका कोला की कीमत के बारे में मैं श्री फइइदीन अली अहमद को तीन पत्र लिख चुका हूँ । हर तीन महीने में इसकी कीमत बढ़ जाती है । यह पेय मिडल और लोअर मिडल क्लास का पेय है । आप कहीं भी जाइए वह आपको यह पेय देगा । एक बोतल की कीमत मुश्किल से दस पैसे होती है । लेकिन 45 पैसे में यह बिकती है । यह सरकार कुछ नहीं करती है । एक हथियार जो आपके हाथ में दिया गया था उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया ।

[श्री कंवरलाल गुप्त]

इससे करप्शन बढ़ी है। इससे कुछ साम नहीं होगा। श्री रणधीर सिंह ने ठीक कहा कि रूरल एरियाज को इसका फायदा नहीं हुआ। उनको तब होता अगर शूगर केन की कीमतें शूगर की कीमतों के हिसाब से बढ़ा दी जाती। शूगर इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इनका कुछ हिसाब-किताब कर दिया, पता नहीं आपकी पार्टी का किया या अफसरों का किया, लेकिन हिसाब-किताब कर दिया। जब चीनी के दाम बढ़ते हैं तो जो रा मैटीरियल है, शूगर केन है, उसके दाम किसान को ज्यादा क्यों नहीं दिलाते हैं, क्यों उसके फायदे के लिए इस कानून का उपयोग नहीं करते हैं? मैं कहूंगा कि यह ब्लैक बिल है। अगर इसको पास करना ही है तो कम से कम गरीब घादमियों का भला तो करो, फार्मर्स का भला तो करो इसका प्रयोग करके, फार्मर को कुछ अधिक पैसे तो रा मैटीरियल का दिलाओ। शूगर केन, जूट, काटन आदि की कीमत उसको अधिक दिलायें। लेकिन उसके लिए आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। अगर किया होता तो मैं आपकी तारीफ कर सकता था।

आज सबसे ज्यादा ब्लैक-मार्केटिंग एम० पी० और एम० एल० ए० के बारे में हो रही है, सबसे ज्यादा स्केसिटी उन्हीं की हो रही है। अगर एम० पी० और एम० एल० ए० को एंसेशल कामोडिटी डिक्लेयर कर दिया जाए और अगर यह कानून वहां भी एक्सटेंड कर दिया जाए, तो एम० पी० और एम० एल० ए० की वजह से जो एक्स-प्लान्टेशन हो रहा है और सरकार को राज्य सभा के इलेक्शन में जो तकलीफ हुई है, उनसे बचा जा सकता है। ये लोग एक साफ्रिस्टिकेटिड तरीके से ब्लैक-मार्केटिंग कर रहे हैं।

गुजरात के एक एम० एल० ए० ने मुझे बताया कि एक पार्टी ने एक एम० एल० ए० को अपनी पार्टी से तोड़ने के लिए, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए, पचास हजार रुपया दिया।

दूसरी पार्टी ने कहा कि तुम डिफ्लेक्ट कर गए, लेकिन तुमने वोट देने का वादा नहीं किया, वोट के लिए पच्चीस हजार रुपया भ्रमण लो। तीसरी पार्टी ने कहा कि अभी वोट का वक्त नहीं है, अगर तुम बाहर चले जाओ, तो पच्चीस हजार रुपया और लो। वह एम० एल० ए० दिल्ली में आ गया उसने प्रधान मंत्री से कहा कि अगर मैं गुजरात में गया, तो मेरी मौत हो जाएगी, वहां पर मुझे पुलिस का डर है, मैंने बाहर रहने का वादा किया हुआ है।

कोई एम० एल० ए० या एम० पी० जिस पार्टी का हो, उसको उसी पार्टी के साथ वोट करना चाहिए, लेकिन यह जो साफ्रिस्टिकेटिड ब्लैक-मार्केटिंग हो रहा है, इसको रोकने के लिए इस कानून को वहां एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि सरकार की कुसियां और गड़ियां बरकरार रहें। यहां भी पंछी रोज उड़ते हैं और स्टेट्स में भी। अभी राज्य सभा के इलेक्शन में सरकार को बहुत तकलीफ हुई है।

पिछले छः सात सालों में इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन से गरीबों को कोई राहत नहीं मिली है। इसका नतीजा सिर्फ यह हुआ है कि करप्शन फैला है, इन्फ्लेशन राज बड़ गया है, नीचे तक रिश्बतखोरी हो गई है, सारे समाज में बेईमानी फैल गई है।

आखिर में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार कनजम्पशन पर पाबन्दी लगा सकती है। एक गरीब घादमी को एक तो उसकी गरीबी का दुःख होता है, लेकिन जब उसे वाले अपनी रिचनेस की एग्जिबिशन करते हैं, तो उसको ज्यादा तकलीफ होती है। क्या सरकार इस तरह का कोई कदम उठाएगी कि कनजम्पशन पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए? यह निश्चित कर दिया जाए कि एक घादमी इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा। अगर श्री रेड्डी इस तरह का रेडिकल स्टेप उठाते, तो मैं समझता कि वह प्रोब्लिम है।

अगर उन्होंने चीन और रूस वालों की तरह प्रायोजित बनता है, श्री बनर्जी जिनके अनुयायी हैं, तो उनको गांधीजी का नाम लेकर यहां नहीं बैठना चाहिए। फिर तो उनको जेनिन और मार्क्स का नाम लेकर यहां बैठना चाहिए।

यह सरकार नाम तो गांधीजी का लेती है, लेकिन अभी मंत्री महोदय का कहना है कि जिस पर दो सौ रुपये जुर्माना होता है, उसको अपील का अधिकार नहीं होगा, बाकी को होगा। जो छोटा परचूनी है, पान वाला या 'सिग्रेट' बेचने वाला है, उसी पर दो सौ रुपये जुर्माना होगा। उसको तो अपील का अधिकार नहीं है, लेकिन बिड़ला और टाटा जैसे बड़े लोगों को है। क्या यह सरकार का न्याय है? क्या यह डेमोक्रेसी है? कांस्टीट्यूशन में जो अधिकार दिए गए हैं, उनके मुताबिक सब लोगों को अपील का राइट मिलना चाहिए। सरकार को पिछली बातों से कुछ सबक सीखना चाहिए और चेंज सर्कमस्टेंसिज में नई नीतियां अपनानी चाहिए, देश में हैल्दी परंपरायें डालनी चाहिए।

मुझे दुःख है कि मंत्री महोदय ने जिस तरह इस बिल में सम्मरी ट्रायल की व्यवस्था की है, उसी तरह उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिए बगैर मेरे मुद्दाओं को सम्मेरिली रिजेक्ट कर दिया है। मैं जानता हूँ कि इस सदन में सरकार को मंजूरिटी मिल जाएगी। मैं जानता हूँ कि श्री एणधीर सिंह चाहे कितनी नाराजगी से बोलें, लेकिन वह वोट उधर ही देंगे। मेरे साथ चाहे एक या दो सदस्य ही हों, लेकिन मैं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करूंगा और इस बिलकी मुखालफ़त करूंगा।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House disapproves of the Essential Commodities (Amendment) Continuance Ordinance, 1969 (Ordinance

No. 10 of 1969) promulgated by the President on the 30th December, 1969."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to continue the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964 for a further period, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2—(Continuance of Act 47 of 1964.)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: I beg to move:

Page 1, lines 6 and 7, for "31st day of December, 1971"

substitute "31st day of December, 1972." (1)

Page 1, line 10, for "31st day of December, 1971."

substitute "31st day of December, 1972." (2)

सभापति महोदय, इस एक्ट को 1964 से 1966 तक बढ़ाया गया और फिर 1966 से तीन साल के लिए 1969 तक बढ़ाया गया। अब इस एक्ट को 1971 तक बढ़ाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इसको तीन साल के लिए क्यों नहीं बढ़ाती है, या फिर चार साल के लिए ही क्यों नहीं बढ़ाती है। आखिर दो सालों का क्या आधार है, इस एक्ट को बढ़ाने का क्या फ़ाइटोरियन है?

मेरा तर्क यह है कि एक साल गुजर गया है और इसको तीन साल के लिए बढ़ा दिया जाए, तो इस पंच-वर्षीय योजना में सरकार को मालूम हो जायगा कि वह किस हद तक आवश्यक वस्तुओं को कंट्रोल कर पाती है, ताकि उसको अपनी अर्थ-व्यवस्था का संचालन करने में मदद मिले। तीन साल के बाद जैसी परिस्थिति होगी, उसके अनुसार वह अपनी नीति बना सकती है। अगर पैदावार बढ़ जाती है, तो वह थोड़ी देर के लिए कंट्रोल से अपना

[श्री शिवचन्द्र झा]

हाथ खींच सकती है, ताकि मार्केट के लाइ
अपना काम करें। सरकार के अपनी लक्ष्य
की पूर्ति के लिए तीन साल रखना ज्यादा
अच्छा होगा।

मंत्री महोदय मेरा संशोधन मान लें,
वर्ना डिविजन होगा।

SHRI RAGHUNATHA REDDY: While
there may be some point in the argument
put forward by the hon. member, let us try

it for two years and see how it works. I
oppose the amendments.

MR. CHAIRMAN: The question is:

Page 1, lines 6 and 7,—

for "31st day of December, 1971"
substitute—

"31st day of December, 1972"(1)

The Lok Sabha divided:

Division No. 21]

AYES

[18.46 hrs.

Banerjee, Shri S. M.
Fernandes, Shri George
Goyal, Shri Shri Chand
Jha, Shri Shiva Chandra

Khan, Shri Ghayoor Ali
Patel, Shri J. H.
Sen, Shri Deven
Shastri, Shri Ramavatar

NOES

Ahmed, Shri F. A.
Azad, Shri Bhagwat Jha
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barua, Shri R.
Bhagat, Shri B. R.
Bhandare, Shri R. D.
Chavan, Shri D. R.
Chavan, Shri Y. B.
Choudhury, Shri J. K.
Dalbir Singh, Shri
Dasappa, Shri Tulsidas
Deoghare, Shri N. R.
Deshmukh, Shri K. G.
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Gavit, Shri Tukaram
Gupta, Shri Lakhan Lal
Hem Raj, Shri
Jadhav, Shri V. N.
Karan Singh, Dr.
Kotoki, Shri Liladhar
Krishnappa, Shri M. V.
Lalit Sen, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahida, Shri Narendra Singh
Mahishi, Dr. Sarojini
Mandal, Dr. P.
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mane, Shri Shankarrao
Marandi, Shri
Master, Shri Bhola Nath
Mishra, Shri G. S.

Mohammad Yusuf, Shri
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri Jagannath
Parthasarathy, Shri
Pradhani, Shri K.
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Radhabai, Shrimati B.
Raghu Ramaiah, Shri
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Sewak, Shri
Randhir Singh, Shri
Rao, Dr. K. L.
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri J. Ramapathi
Reddi, Shri G. S.
Roy, Shri Bishwanath
Sadhu Ram, Shri
Saleem, Shri M. Yunus
Sankata Prasad, Dr.
Sayeed, Shri P. M.
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri Dwaipayan
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri B.
Shastri, Shri Biswanarayan
Shiv Chandika Prasad, Shri
Sonavane, Shri
Sudarsanam, Shri M.
Tiwary, Shri D. N.
Ulaka, Shri Ramachandra
Verma, Shri Prem Chand
Yadav, Shri N. P.

MR. CHAIRMAN: The *result of the Division is: Ayes 8; Noes 66.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now the question is:

"That clause 2 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, I want to raise a point of order. The amendment was that of Mr. Shiv Chandra Jha and you said, "Ayes have it; Ayes have it." You see the record. You said, "Ayes have it; Ayes have it." The amendment is carried.

MR. CHAIRMAN: No, no.

श्री कंवरलाल गुप्त: सब लोगों ने भाइय कहा है, समर्थन किया है, आप रिकार्ड में देख लीजिए। जिन्होंने इस प्रमेण्डमेंट के पक्ष में वोट दिया है, वे सब उस वक्त सो रहे थे, उनको मालूम ही नहीं था कि वह किस चीज पर वोट दे रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, नहीं तो यह बड़ा खतरनाक मामला होगा। आप पूछिए तो सही, रिकार्ड में क्या है।

सभापति महोदय: मैंने कहा है—Clause 2 stand part of the Bill.

श्री कंवरलाल गुप्त: आपने कहा है—Ayes have it, Ayes have it. You put the amendment.

सभापति महोदय: मैंने कहा है—Clause 2 stand part of the Bill (*Interruptions*)

SHRI SHEO NARAIN (Basti): You see the record. It is a genuine demand.

श्री कंवरलाल गुप्त: आपने पहली प्रमेण्डमेंट डिवीजन से लूज कर दी। उसके बाद उनकी जो दूसरी प्रमेण्डमेंट थी, आपने उस पर वोट कराया, इन्होंने उसका समर्थन

किया, इनको पता ही नहीं था कि इनको क्या करना है और फिर आपने भी कहा—Ayes have it, Ayes have it. सेक्रेटरी साहब आपको बतलाने के लिए भी गए। यह ठीक नहीं है। आपने प्रमेण्डमेंट पर वोट कराया है।

सभापति महोदय: मैंने क्लॉज 2 कहा है। . . . (ब्यवधान) . . .

श्री कंवरलाल गुप्त: आप रिकार्ड देख लीजिए, क्लॉज 2 नहीं कहा है, प्रमेण्डमेंट कहा है। प्रमेण्डमेंट 2 पर वोट कराए बगैर आप आगे नहीं जा सकते थे . . . (ब्यवधान) . . . सेकेण्ड प्रमेण्डमेंट को पास कराए बगैर आप इसको पास नहीं करा सकते हैं, आप रिकार्ड देखिए। या तो आप इसको दोबारा लीजिए, रूल को सस्पेंड करके इसको दोबारा लीजिए . . . (ब्यवधान) . . . पहले रूल को सस्पेंड कीजिए, उसके बाद इसको दोबारा लीजिए।

सभापति जी, मेरा कहना यह है कि पहले शिव चन्द्र झा जी की पहली प्रमेण्डमेंट पर डिवीजन हुआ और वह नेगेटिव हो गई। उसके बाद उनकी जो दूसरी प्रमेण्डमेंट थी, स्वाभाविक है कि उस पर वोट होना चाहिए। क्लॉज 2 पर आप सीधे वोट नहीं करा सकते हैं। जब वोट हुआ इनको ऐसा मालूम हुआ कि क्लॉज 2 पर हो रहा है, इन्होंने हां कर दी, ये सो रहे थे, उसके बाद आपने भी यह कह दिया . . . (ब्यवधान) . . .

सभापति महोदय: प्रमेण्डमेंट नं० 2 तो वाई है वाई नं० 1 मैंने कहा है—Clause 2 stand part of the Bill.

श्री कंवरलाल गुप्त: लेकिन वॉटिंग तो अलग-अलग होगा। आप रिकार्ड देखिए।

*The following members also recorded their votes for NOES: Sarvshri Iqbal Singh and Swami Brahmanandji.

सभापति महोदय : चूंकि यह वार्ड था, इसलिए मैंने क्लॉज 2 को लिया ? मैंने यही कहा—Clause 2 stand part of the Bill.

श्री कंबरलाल गुप्त : आप रिक्वाइर्ड देखिए । पहले आपने कहा था कि दोनों पर एक साथ डिबीजन नहीं हो सकता है, एक-एक पर डिबीजन होगा ।

MR. CHAIRMAN : No argument.

श्री कंबरलाल गुप्त : यह क्या तरीका है । किसी के कहने से आप ऐसा कह रहे हैं, यह ठीक नहीं होगा ।

सभापति महोदय : आप इसको दूसरे तरीके से उठाए ।

श्री रणधीर सिंह : आपने ठीक कहा है—Clause 2 stand part of the Bill. हमने अपने कानों से सुना है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : डिबीजन जब शुरू हुआ तो जो पहला डिबीजन हुआ, वह प्रमेण्डमेंट नं० 1 पर हुआ और चूंकि दोनों में प्रमेण्डमेंट यही है कि तीन साल होना चाहिए, इसलिए कान्सीकनेशनल हो सकता है । लेकिन पहली प्रमेण्डमेंट के बारे में वोट लिया और आपने डिक्लेयर किया कि नेगेटिव हो गई । 8 वोट हम लोगों को मिले और 66 उनको मिले ।

लेकिन जब दूसरा प्रमेण्डमेंट आया तो शायद यह हो सकता है कि चमड़े की जुबान फिसल गई और उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने कहा—Ayes have it. चेयर की जितनी इज्जत रणधीरसिंह जी करते हैं उससे ज्यादा इज्जत हम करते हैं । तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज की पार्कमेन्टरी प्रणाली के हिसाब से आप देखें तो जो आपकी जवान से निकल गया उसको जब तक हटाया न जाए तब तक खड़े सही है । अगर वह प्रमेण्डमेंट मान लिया गया है तो उससे कोई बहुत

बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है और न यह सरकार ही गिरने वाली है । इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारी पद्धति जो कि एक सही पद्धति है उसको देखते हुए एक दफा जो आपने डिक्लेयर कर दिया है उसको मान लिया जाए—जो तीन साल का प्रमेण्डमेंट है उसको मान लिया जाए ।

श्री शिव नारायण : सभापति महोदय, जैसा कि बनर्जी साहब ने कहा है, हम तो रिक्वाइर्ड को मानते हैं । हल्ला-गुल्ला तो हम कोई महत्त्व नहीं देते हैं । हम चाहते हैं कि रिक्वाइर्ड को देखा जाए, प्रोसीडिन्स को देखा जाए । डिमोक्रैटिक सेटअप में हमारी यह डिमान्ड बहुत ही जेन्युइन है । . . . (अव्यवधान) . . .

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): I am requesting and appealing to Members. Let us not convert this House into a Panchayati Raj. (Interruptions)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI rose.

SHRI R. D. BHANDARE: I am on my legs. I am in possession of the House.

I was appealing to the Members to be fair to the Chair.

SHRI SHEO NARAIN: We are all fair to the Chair. We respect and honour the Chair more than you.

SHRI R. D. BHANDARE: Amendment No. 2 of Mr. Jha. . .

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Why not you see the record?

SHRI R. D. BHANDARE: I am coming to the record itself. I am not misleading you or any other Member or the Chair. The Chair specifically, categorically and very clearly said that 'Clause No. 2 do stand part of the Bill.' That is there on the record. So far as amendment No. 2 was concerned, it was not taken into consideration. Therefore, the Chair was justified when the Chair very categorically said that 'Clause No. 2 do stand part of the Bill.' This is the record. On this matter, let us be fair to the Chair. Let us go to the record. As far as Amendment

No. 2 is concerned, I know, it was not put to vote and it was not pressed at all. I am concerned with the Chair and therefore I want to appeal to the hon. Members to respect the chair and not mislead the Chair. Let us not mislead the House. Let us not spoil the record. The Chair said 'Clause 2 stand part of the Bill.'—That is the record.

SHRI RANDHIR SINGH: Record is quite clear. Why don't you refer to it, Sir?

MR. CHAIRMAN: I am giving my ruling. Amendment No. 2 is barred. I said that "Clause 2 stand part of the Bill." That is the record and so it stands.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What about amendment No. 2, Sir?

MR. CHAIRMAN: Barred. It was not put to vote. Now, the question is:

"That Clause 3, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

11.58 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha:—

- (i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha,

I am directed to return herewith the West Bengal Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 30th March, 1970, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

- (ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return here with the West Bengal Appropriation Bill, 1970, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 30th March, 1970, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

- (iii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) Bill, 1970, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th March, 1970, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

- (iv) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1970, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th March, 1970, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."